संख्या-21/2015/ 861 /अड़तीस-5-15-2 बजट/2015 (1)

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 16 जुलाई, 2015

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में पेयजल के विभिन्न कार्यक्रम हेतु प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक। (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक-597/ डब्लू-409/2015, दिनांक 25.06.2015 एवं तद्संलग्न पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत आदेश संख्या- जी-11011/08/2015/वाटर-1/19, दिनांक 16 जून, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एस0सी0एस0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोग्राम फण्ड में प्राप्त केन्द्रांश रू0 7048.92 लाख (रूपये सत्तर करोड़ अडतालीस लाख बानन्बे हजार मात्र) के सापेक्ष पूर्व में कवरेज मद में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नानुसार विभिन्न घटकों में श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नवत प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	पेयजल कार्यक्रम के विभिन्न घटक	मात्राकृत केन्द्रांश	मैचिंग राज्यांश	केन्द्रांश / राज्यांश का कुल योग	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए के0/रा0 की धनराशि जो अवमुक्त की जा रही है।
1	Sustainability	766.19	0	766.19	0	766.19
2	Quality	1532.37	1532.37	3064.74	0	3064.74
3	O&M	1149.28	1149.28	2298.56	0	2298.56
4	Coverage	3601.08	3601.08	7202.16	4220.55	2981.61
	Total	**7048.92**	**6282.73**	**13331.65**	**4220.55**	**9111.10**

3- उपरोक्तानुसार केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश के रूप में रू0 9111.10 लाख (रूपये इक्यानब्बे करोड. ग्यारह लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन है:-

I. धनराशि का व्यय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त स्वीकृत आदेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

II. उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार यथावश्यक प्रोगाम फण्ड में जमा की जायेगी एवं निर्धारित अवधि में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

III. पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि में से 65 प्रतिशत धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम, 17.5 प्रतिशत झाँसी डिवीजन, जल संस्थान झाँसी एवं 17.5 प्रतिशत जल संस्थान चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को उपलब्ध करायी जायेगी।

IV. उर्पयुक्त वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्तानुसार प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि रू0 9111.10 लाख (रूपये इक्यानब्बे करोड. ग्यारह लाख दस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय –आयोजनागत-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-01-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-592 /दस-2015, दिनांक 16 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्याः22/2015/861 (1)/अड्तीस-5-15, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
3. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा ।
11. महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी।
12. नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
13. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
15. समाज कल्याण विभाग(बजट प्रकोष्ट) उ0प्र0 शासन।
16. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in